


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 14.5.2022

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 460

मुकदमा नंबर 294/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. कोहला पुत्र खेताराम 2. लुणा पुत्र अखाराम 3. मका पुत्र अखाराम 4. चूना पुत्र अखाराम 5. पीम्पली पुत्री रेवता 6. पालू बेवा अखाराम 7. सजनी पत्नी अजबाराम जातियान मेघवाल निवासीयान सालुजी का तला बायतु, तहसील बायतु जिला बाडमेर । 		<ol style="list-style-type: none"> 1. मांगीलाल पुत्र उतमाराम 2. द्वारकाराम पुत्र उतमाराम 3. कैलाश पुत्र आसूलाल 4. नरपत पुत्र आसूलाल नाबलिंग जरिये कुदरती वलिया माता शांतिदेवी बेवा आसूलाल 5. गजेन्द्र पुत्र आसूलाल नाबलिंग जरिये कुदरती वलिया माता शांतिदेवी बेवा आसूलाल 6. शांतिदेवी बेवा आसूलाल 7. भंवराराम पुत्र हरजीराम 8. घेवरचंद पुत्र हरजीराम 9. मोहनलाल पुत्र हरजीराम 10. सामूराम पुत्र हरजीराम 11. केवलराम पुत्र हरजीराम 12. किशनी बेवा हरजीराम 13. गोरखाराम पुत्र चौखाराम 14. वीराराम पुत्र चौखाराम 15. जोगाराम पुत्र चौखाराम 16. सगरती बेवा चौखाराम 17. पता पुत्र ताजा 18. मेरा पुत्र ताजा 19. मंगला पुत्र ताजा, जातियान मेघवाल निवासीयान नया गांव, नगोणी धतरवालो की ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर । 20. घमण्डाराम पुत्र श्रीराम 21. कुशलाराम पुत्र श्रीराम 22. मोहनलाल पुत्र श्रीराम 23. गोर्धनराम पुत्र श्रीराम 24. अन्तरीदेवी बेवा श्रीराम जातियान मेघवाल निवासीयान पुराना गांव पनजी, तहसील बायतु जिला बाडमेर । 25. गोमाराम पुत्र चतराराम जाति मेघवाल लाधानियों की ढाणी, बायतु तहसील बायतु 26. अचलाराम पुत्र दीपाराम 27. भैराराम पुत्र दीपाराम 28. नारायणराम पुत्र दीपाराम 29. नवलाराम पुत्र दीपाराम 30. अमराराम पुत्र दीपाराम, जाति मेघवाल लाधानियों की ढाणी, बायतु पनजी तह. बायतु 31. धीराराम पुत्र वीरामाराम जाति मेघवाल निवासी पुराना गांव बायतु पनजी तह. बायतु 32. मोहब्बतराम पुत्र गोकलाराम 33. लालाराम पुत्र गोकलाराम 34. अन्तरी बेवा गोकलाराम, जातियान मेघवाल निवासीयान पुराना गांव पनजी बायतु, तहसील बायतु जिला बाडमेर । 35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।



(SDO) बालोतरा

आदेश

दिनांक :- 31.5.2022

उपयुक्त प्रकरण मौजा मेकरना पटवारी क्षेत्र गोल सोडा, भू-निरीक्षक दूधवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 151/51 रकबा 17-09 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपस्थानक अधिकारी,
मखमल (SDO) पचपदरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 461

दिनांक :- 14/6/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

(नरेश सोनी)
उपस्थानक अधिकारी,
मखमल (SDO) पचपदरा

